कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति के लिए) नियम 8-(1)

चूंकि, आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत एक मांग सूचना जारी की थी, जिसमें नीचे उल्लेखित कर्जदारों को इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम चुकता करने को कहा गया था।

एलएएन सं.	कर्जदार	रकम	मांग सूचना की तारीख	13(4) नियम 8 तारीख	सम्पत्ति का पता
LXJPR00218-190000286	श्री छोटू लाल सैनी, श्रीमती कमला देवी तथा श्री रमेश सैनी	रु. 7,48,596/-	18.05.2022	26-07-2022	प्लॉट नं. 354-ए, योजना शिखा सागर, टोल टैक्स, टोंक रोड, गोविंदपुरा के पास, सांगानेर,जयपुर-302029

कर्जदार द्वारा उक्त रकम का भुगतान करने में असफल होने के कारण, एतद्द्वारा कर्जदार एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लेखित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया गया है।

विशेष तौर पर कर्जदार तथा आम तौर पर जन साधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा यहां उल्लेखित रकम साथ में उस पर ब्याज की राशि के लिए आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

स्थान : राजस्थान
तारीख: 29.07.2022

आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
अधिकृत अधिकारी

आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: डी-16, प्रथम तल, आईसीआईसीआई कंपनी के ऊपर,
सेक्टर 14, प्रशांत विहार, नई दिल्ली-110085

अचल संपत्ति की बिक्री/नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित सरफैसी अधिनियम के तहत)

जबकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में 'सरफैसी अधिनियम') के तहत आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (यहां बाद में "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के अधिकृत प्राधिकारी ने और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानतियों से भुगतान की तिथि तक अनुबन्धदर पर भावी ब्याज एवं लागतों, प्रभारों एवं व्ययों आदि सहित सूचना में उल्लिखित राशि का कथित सूचना की तिथिसे 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी की थी।

कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता/जमानती के निर्दिष्ट अवधि में उक्त राशि को चुकाने में विफल रहने पर, अधिकृत प्राधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भौतिक कब्जा कर लिया है जिसकी बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के तहत कम्पनी के बकायों की वसूली के लिए नीचे नीलामी अनुसूची के अनुसार निविदाएं/संविदाएं आमंत्रित करके "जहाँ है जैसे है", "जो कुछ भी है वहीं है" तथा "उपचार रहित आधार" पर की जायेगी :

सम्पत्तियों का विवरण :

सम्पत्ति सं. 01:- ए-179, संजीवनी सिटी-2, चंदलाई रोड, गांव-चाटिका, सांगानेर, शिवदासपुरा, जयपुर, राजस्थान, भारत-303903		
संपत्ति संख्या 02: - मकान संख्या 60, श्री राम नगर, कुंडा, आमेर, सियाराम बाबा की डूंगरी के पास, जयपुर		
सम्पत्तियों का विवरण :	सम्पत्ति सं. 1	सम्पत्ति सं. 1
ज्ञात ऋण भार (यदि कोई हो)	उपलब्ध नहीं	
आरक्षित मूल्य (रुपये)	7,71,896/-	24,34,821/-
जमा धरोहर राशि (रुपये में) प्रशांत विहार दिल्ली में देय 'आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में डीडी/पीओ/आरटीजीएस के माध्यम से	77,190	2,43,482/-
बोली वृद्धि राशि (गुणकों में)	50,000/-	50,000/-
ईएमडी के साथ मुहरबंद प्रस्ताव/निविदा के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि, समय और स्थान	26.08.2022, 5:30 बजे अप., 105 प्रिज्म टॉवर, सामने पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर-302015	
बोलियां खोलने की तिथि, समय और स्थान	01.09.2022, 11:00 बजे पूर्वा., 105 प्रिज्म टॉवर, सामने पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर-302015	
संपत्तियों का निरीक्षण	27.08.2022, 11 बजे पूर्वा. से 2 बजे अप.	27.08.2022, 03 बजे अप. से 5 बजे अप.
निविदा/बोली सह नीलामी फार्म की लागत	निल	
असफल बोलीदाताओं की ईएमडी की वापसी	निविदा खुलने की तिथि से 2 दिन के बाद	
सफल बोलीदाता के लिए स्वीकृत उच्चतम बोली के 25% के भुगतान की अंतिम तिथि (ईएमडी सहित)	संविदा खुलने की तिथि के दिन	
उच्चतम बोली के शेष 75% राशि के भुगतान की अंतिम तिथि	बोली खुलने की तिथि के 15 दिनों के भीतर	

ऋण का विवरण	
कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता का नाम एवं पता	1. श्री तारा चंद महावर एवं श्रीमती विमला देवी, ए-179, संजीवनी सिटी-2, चांदलाई रोड, ग्राम- चाटिका, सांगानेर, शिवदासपुरा, जयपुर, राजस्थान, भारत-303903. 2. श्री राम करण गहलोत, श्रीमती पूजा और श्रीमती महेंद्र सिंह गहलोत, संपत्ति, मकान नंबर 60, श्री राम नगर, कुंडा, आमेर, सियाराम बाबा की डूंगरी के पास, जयपुर में स्थित
सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि	1.7.10.2021 2.06.12.2021
सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की राशि (रु. में)	1. रु. 5,76,902/- (रुपये पांच लाख छिहत्तर हजार नौ सौ दो मात्र) 2. रु. 19,77,969/- (रुपये उन्नीस लाख सतहत्तर हजार नौ सौ उनहत्तर मात्र)
भौतिक कब्जे की तिथि	1. 15.07.2022, 2.12.07.2022
बकाया देय (रु. में)	1. 6,67,000/-, 2. 23,80,000/-

नीलामी के नियम तथा शर्तें : 1. संविदाकार को पूर्ण प्रस्ताव देना होगा। 2. बोलीदाताओं को एक सीलबंद लिफाफे में निम्नलिखित विवरण के साथ बोली फॉर्म जमा करना होगा, (i) व्यक्तिगत बोलीदाता/बोलीदाता कंपनी/बोलीदाता फर्म/बोलीदाता संगठन का पूरा नाम और विवरण (ii) पैन कार्ड की प्रति (iii) सक्रिय मोबाइल नम्बर (iv) ईमेल पता और (v) पते का प्रमाण। संबंधित केवाईसी दस्तावेजों और ईएमडी के साथ प्रस्तावों को एक लिफाफे में रखा जाएगा जिसे सील किया जाना चाहिए और उस पर "सम्पत्ति 1. श्री ताराचंद महावर, 2. राम करन गहलोत के मामले में प्रतिभूत आस्तियों/सम्पत्तियों को खरीद के लिए मैसर्स आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से प्रस्ताव" लिखना होगा और लिफाफे को सामान्य कार्य घंटों के दौरान प्राधिकृत अधिकारी डी-105, प्रिज्म टॉवर, सामने पुलिस मुख्यालय लाल कोठी जयपुर-302015 के कार्यालय में रखे गए निविदा बॉक्स में डालना होगा। 3. प्रत्येक निविदा/बोली/प्रस्ताव के साथ 'आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में दिल्ली में देय डी.डी./पे ऑर्डर के माध्यम से प्रस्ताव राशि के 10% की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) संलग्न करनी होगी। डी.डी./पी.ओ. निविदाकार/बोलीदाता की ओर से ही खरीदा जाना चाहिए। 4. नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। 5. निविदाकार/बोलीदाता को उक्त संपत्ति के हस्तांतरण या उपयोग के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। 6. आयकर अधिनियम की धारा 194 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार, यदि संपत्ति 50 लाख से ऊपर बेची जाती है तो खरीदार को सरकारी खजाने में उचित टीडीएस देना होगा और टीडीएस प्रमाण पत्र कंपनी में जमा करना होगा। 7. सफल बोलीदाता को उसके पक्ष में बिक्री की पुष्टि होने पर बोली राशि का 25% (बोली के साथ जमा की गई 10% ईएमडी सहित) तुरंत जमा करना होगा। भुगतान केवल दिल्ली में देय 'आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में आहरित कंपनी के चेक/डीडी के रूप में किया जाना है। 8. यदि सफल बोलीदाता बोली राशि का 25% जमा करने में विफल रहता है, तो बिना किसी सूचना के कंपनी द्वारा अग्रिम जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। सफल बोलीदाता कंपनी द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर शेष बोली राशि जमा कर देगा। भुगतान में चूक के मामले में, इस प्रकार जमा की गई पूरी राशि बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति की पुनः बिक्री की जायेगी। ऐसे मामले में सफल बोलीदाता का संपत्ति के संबंध में या उस राशि के किसी भी हिस्से पर कोई दावा नहीं होगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है। कंपनी के पास सरफैसी नियम, 2002 के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से संपत्ति को बेचने का अधिकार भी सुरक्षित है। 9. सभी पात्र बोलीदाताओं को इंटर-से बोली लगाने की अनुमति है। बोलीदाता(ओं) के बीच इंटर-से बोली के माध्यम से अपने प्रस्तावों में सुधार कर सकते हैं। इंटर-से बोली उच्चतम बोली खोले जाने के समय शुरू होगी। बोलीदाता 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के तहत उल्लिखित राशियों के गुणकों में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं। अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के अधीन उच्चतम बोली राशि जमा करने वाले और/या इंटर-से बोली (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) में विजयी बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा और उक्त उच्चतम बोलीदाता को इस आशय की सूचना जारी की जाएगी। 10. किसी भी राशि के भुगतान में किसी भी चूक की स्थिति में, या यदि क्रेता/बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक के कारण निर्धारित समय सीमा के भीतर बिक्री पूरा न होने की स्थिति में, कंपनी को क्रेता/बोलीदाता द्वारा तब तक भुगतान किए गए सभी धन और प्रतिभूत आस्ति(यों)/संपत्ति(यों) को जब्त करने और अपने पूर्ण विवेक से दुबारा बिक्री/निपटान के लिए रखने और साथ ही दूसरे उच्चतम बोलीदाता को पुनर्विक्रय/प्रस्ताव देने का अधिकार होगा। इसके अलावा, इस तरह के पुनर्विक्रय के कारण कंपनी द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों को चूककर्ता क्रेता द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा। कंपनी के पास पूर्वोक्त समय सीमा को बढ़ाने और पूरी तरह से अपने विवेक पर और ऐसे नियमों और शर्तों को निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार है। 11. निविदाएं/बोलियां कंपनी के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर्जदारों, सह-कर्जदारों, गिरवीकर्ताओं (यदि उपलब्ध हो) और संभावित खरीदारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी, जो अन्य बातों के साथ-साथ, बातचीत के लिए, प्रस्ताव के बढ़ाने/संशोधित करने के लिए पूर्वोक्त दिन और समय पर उपस्थित रहने का विकल्प चुन सकते हैं। 12. बिक्री के लिए प्रस्तुत अचल संपत्ति(यों)/प्रतिभूत आस्ति(यों) की बिक्री से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद/मतभेद केवल दिल्ली में न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। 13. आरक्षित मूल्य से नीचे की निविदाएं/बोली और/या उपयुक्त ईएमडी तथा अन्य सभी दस्तावेज, जैसा कि ऊपर खंड 2 में उल्लिखित है, के संलग्न न होने पर इसे अमान्य माना जाएगा। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी अपने विवेकाधिकार पर, ऐसी सभी या ऐसी किसी भी निविदा/बोली को वैध मानने का अधिकार सुरक्षित रखता है। असफल निविदाकारों/बोलीदाताओं को ईएमडी राशि नीलामी की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। निविदाकार/बोलीदाता किसी भी कारण से ईएमडी की राशि में देरी होने पर किसी भी ब्याज का दावा करने के हकदार नहीं होंगे। 14. कंपनी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, कोई अन्य ऋणभार नहीं है। संपत्ति कर आदि जैसे सांविधिक बकाया संभावित क्रेताओं द्वारा सुनिश्चित किए जायेंगे। 15. प्रतिभूत आस्ति(यों)/संपत्ति(यों) को "जैसा है जहां है", "जो है यही है", "जो कुछ भी है वहीं है" और "आश्रय रहित" आधार पर बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी बिक्री के लिए प्रस्तावित प्रतिभूत आस्ति/अचल संपत्ति के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण के बकाया जल/सेवा शुल्क, हस्तांतरण शुल्क, बिजली बकाया, बकाया राशि सहित किसी भी देय/शुल्क के संबंध में कोई अनुमति/लाइसेंस आदि प्राप्त करने और/या कोई उक्त अचल प्रतिभूत आस्ति/यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के परिप्रेक्ष्य में अन्य देय, कर, ऋणभार, यदि कोई हो, का उपक्रम नहीं करती है। 16. निविदाकारों/बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि निविदाएं/बोली जमा करने से पहले संबंधित अधिकारियों से अपनी संतुष्टि के लिए वे अपने हित में अचल प्रतिभूत संपत्तियों से संबंधित अन्य विवरणों के शीर्षक और शुद्धता के साथ खुद को संतुष्ट करने के लिए अचल मुहरबंद आस्ति के आकार/क्षेत्र के साथ-साथ किसी भी अन्य बकाया/देयताओं/ऋणभारों की जानकारी प्राप्त कर लें। निविदा खोलने/नीलामी आयोजित करते समय इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। प्रस्ताव)/निविदा(एं) जिनका प्रस्ताव प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है, कोई परिवेदना/शिकायत नहीं उठाएंगे और अधिकृत अधिकारी द्वारा उनके प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद, आकार/क्षेत्र में विसंगति, स्वामित्व में दोष या किसी अन्य आधार पर प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निविदा/बोली के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद, ऐसे सफल क्रेता/उसके नामांकित व्यक्ति को अचल संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री के सभी नियमों और शर्तों को बिना शर्त स्वीकार किया गया माना जाएगा और ऐसी अचल संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व, विवरण, माप आदि के बारे में सभी आपत्तियों को समाप्त कर दिया जाएगा। 17. सशर्त प्रस्तावों वाली निविदाएं/बोली अमान्य मानी जाएंगी। प्रस्तावों में किसी भी परिवर्तन के बारे में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई निविदाकार/बोलीदाता संबंधित विज्ञापन में निविदाओं/बोलियों को जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को या उससे पहले विज्ञापित प्रतिभूत आस्ति/अचल संपत्ति के लिए नया प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो वे पहले जमा किए गए प्रस्ताव के आहरण के अध्यधीन उपयुक्त ईएमडी के साथ नई निविदा/बोली कर सकते हैं। 18. क्रेता को अपने नाम पर प्रतिभूत आस्ति/अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए सभी आवश्यक खर्च जैसे स्टांप शुल्क, पंजीकरण खर्च, हस्तांतरण शुल्क और अन्य शुल्क आदि का वहन करना होगा। 19. कंपनी बिना कोई कारण बताए उच्चतम, किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और यदि सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो या तो किसी भी निविदाकर्ता/बोलीदाताओं के साथ बातचीत करने या प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति किसी भी निविदाकर्ता/बोलीदाता या किसी अन्य पार्टी/पार्टियों के साथ निजी बातचीत के माध्यम से बेचने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इस संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा। 20. कंपनी बोलीदाताओं/निविदाकारों को कोई अन्य नोटिस दिए बिना मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में आवश्यकतानुसार अपने विवेकाधिकार पर उपरोक्त शर्तों में से किसी में भी संशोधन/परिवर्द्धन/हटाने के लिए स्वतंत्र होगी और निविदाकारों/बोलीदाताओं को ऐसी संशोधित शर्तों को स्वीकार करने वाला माना जाएगा और तदनुसार वह इसे मानने के लिए बाध्य होगा।21. कंपनी प्रतिभूत आस्तियों के परिप्रेक्ष्य में किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, ऋणभार के लिए स्वामित्व, संपत्ति कर या सरकार अथवा किसी अन्य निकाय के किसी अन्य बकायों में वास्तविकता/बाजार की क्षमता का पता लगाने जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगी। 22. यह बिक्री कम्पनी की पुष्टि के अध्यधीन है। 23. सम्पत्तियों के निरीक्षण हेतु इच्छुक संविदाकार कम्पनी के अधिकारी श्री बसन्त कुमार मीणा (मोबाइल 9950259132) से 12.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. तक कार्यालय घंटों के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं। बोलियां हस्तान्तरणीय नहीं हैं।

स्थान : जयपुर, तिथि : 29.07.2022 ह./- (अधिकृत प्राधिकारी), आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, हमारे क्लाइंट मैसर्स मुथूट फाईनान्स लि. द्वारा **28th July 2022** को (बंधक आभूषणों की-एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और अब **31st August 2022** को सार्वजनिक नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्जदारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा से सम्पर्क कर सकते है।

कोहली एण्ड सोबती, एडवोकेट
ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस

मांग सूचना

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के अधीन

चूंकि आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएफएलएचएफएल) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम के अधीन तथा धारा 13(12) के साथ पठित नियमों के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत पहले ही विस्तृत मांग सूचनाएं जारी की है, जिसमें यहां नीचे सूचीबद्ध कर्जदारों/सह-कर्जदारों/गारंटीदाताओं (सभी को व्यक्तिगत रूप में अथवा सामूहिक रूप से बाध्यताधारी)/वैध उत्तराधिकारियों/वैध प्रतिनिधियों को यहां नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार संबंधित सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के अंदर संबंधित मांग सूचनाओं में उल्लेखित रकम चुकता करने को कहा गया है। उक्त सूचनाओं की प्रतिलिपियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा सेवित की गई हैं तथा अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है तथा उक्त बाध्यताधारी/वैध उत्तराधिकारी/वैध प्रतिनिधि, चाहे तो, संबंधित प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्यकारी दिवस को सामान्य कार्यकारी घंटे के दौरान संग्रह कर सकते हैं।

उपरोक्त के संबंध में उक्त बाध्यताधारी/वैध उत्तराधिकारियों/वैध प्रतिनिधियों को संबंधित सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के अंदर उनके नाम के तहत यहां नीचे उल्लेखित रकम के साथ नीचे कॉलम में उल्लेखित संबंधित तारीखों से भुगतान तथा/अथवा वसूली की तारीख तक उक्त बाध्यताधारी द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध तथा अन्य दस्तावेज/लेखन के साथ पठित दर पर आगे के ब्याज की रकम आईएफएलएचएफएल को चुकता करने के लिए एक बार पुनः सूचना दी जाती है। ऋण की बकाया रकम की जमानत के तौर पर उक्त बाध्यताधारी द्वारा आईएफएलएचएफएल के समक्ष नीचे उल्लेखित प्रत्याभूत सम्पत्तियां गिरवी पर रखी गई हैं।

ऋण खाता सं.	बाध्यताधारी/वैध उत्तराधिकारी/वैध प्रतिनिधि का नाम	नीचे वर्णित तिथि को कुल बकाया रकम (रु.)*	मांग सूचना की तारीख एवं एनपीए की तारीख	प्रत्याभूत सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों/गिरवी पर रखी सम्पत्तियों का विवरण
LXJPR00218-190000262	श्रीमती रामदुलारी देवी, श्री बुधन मंडल तथा श्री राकेश सिंह	दि. 30.06.2022 को रु. 5,03,168/- (रुपये पांच लाख तीन हजार एक सौ अड़सठ मात्र)	मांग सूचना की तारीख 15.07.2022 एनपीए की तारीख 09.07.2022	प्लॉट नं. 14, घाटीवाला नगर, कुंड रोड, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर-302027

*भुगतान तथा/अथवा वसूली की तारीख तक संबंधित मांग सूचनाओं में विस्तृत रूप से उल्लेखित दर पर आगे के ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क इत्यादि के साथ। ऊपर उल्लेखित विवरण के अनुसार अगर उक्त बाध्यताधारी आईएफएलएचएफएल को भुगतान करने में विफल होते हैं, तो आईएफएलएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त प्रत्याभूत सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों के खिलाफ कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है, जो सम्पूर्ण रूप से उक्त बाध्यताधारी/वैध उत्तराधिकारियों/वैध प्रतिनिधियों की जोखिम, लागत तथा निष्कर्ष पर आधारित होगा।

उक्त बाध्यताधारी/वैध उत्तराधिकारियों/वैध प्रतिनिधियों पर उक्त अधिनियम के अधीन आईएफएलएचएफएल की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर बिक्री, पट्टा अथवा अन्य किसी भी रूप में उपरोक्त प्रत्याभूत सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों के हस्तांतरण पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अधीन गठित नियमों की अवहेलना करते हैं अथवा अवहेलना करने के लिए उकसाते हैं, तो वे अधिनियम के अंतर्गत जेल जाने तथा/अथवा जुर्माना अदा करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

कृते आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
हस्ता/-
अधिकृत अधिकारी

स्थानः राजस्थान
तारीख: 29-07-2022

सम्पर्क का पता: डी-16, पहली मंजिल, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, प्रशांत विहार, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085

पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

PTC India Financial Services Limited

शेयरधारकों को सूचना

एतद्द्वारा पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ('कंपनी') के उन शेयरधारकों को नोटिस दिया जाता है, जिनके शेयर विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अन्तरण और प्रतिदाय) नियमावली 2016 की धारा 124 (6) ('प्रावधान') के नियम 6(3)(ए) प्रावधानों के अनुसार विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि ("आईईपीएफ") में हस्तांतरित किये जा रहे हैं। प्रावधानों के अनुसार वे सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए दावा नहीं किया गया है, आईईपीएफ के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे।

यह सूचना उन लोगों को संबोधित की जाती है जिनके शेयर उचित कार्रवाई करने के लिए आईईपीएफ को हस्तांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

इस संबंध में, कंपनी उन संबंधित शेयरधारकों को जिनके लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, आईईपीएफ में हस्तान्तरण के लिए नियत शेयरों के सम्पूर्ण विवरण का उल्लेख करते हुए, डिपॉजिटरी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ उनके पंजीकृत पते पर विशिष्ट संचार भेज रही है। ऐसे शेयरधारकों का विवरण जानने के लिए कृपया देखें: www.ptcfinancial.com;

शेयरधारक जिन्होंने लगातार सात वर्षों की अवधि तक अपने लाभांश का दावा नहीं किया है, वे कंपनी को पंजीकृत कार्यालय में लिख सकते हैं या info@ptcfinancial.com पर ई-मेल कर सकते हैं या केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032, तेलंगाना, दूरभाष: +91 40 67162222/1-800-309-4001 में हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को लिख सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए और कंपनी के पास पड़े अदावाकृत शेयरों का वैध दावा करने के लिए ई-मेल ravuri.vijay@kfintech.com पर ई-मेल कर सकते हैं। यदि कंपनी को 30 सितंबर, 2022 तक संबंधित शेयरधारकों से कोई संचार प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयर हस्तांतरित करेगी। शेयरधारक ध्यान दें कि दावा न किए गए लाभांश और आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित शेयर, ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभों सहित, यदि कोई हो, नियमों के तहत प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया आईईपीएफ प्राधिकरण की वेबसाइट www.iepf.gov.in देखें।

कृते पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
ह./-
(मोहित सेठ)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.07.2022

(सीआईएन:L65999DL2006PLC153373)
पंजीकृत कार्यालय: 7वीं मंजिल, टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, 8 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110 066
बोर्ड: +91 11 26737300/26737400 फैक्स: 26737373/26737374,
वेबसाइट: www.ptcfinancial.com, ई-मेल: info@ptcfinancial.com

INFINITY FINCORP SOLUTIONS
SANKALP AAPKA, SAATH HUMARA

इनफिनिटी फिनकॉर्प सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : ए -507, बिल्डिंग ए का लेवल 5, 215-एट्रियम, 151, अंधेरी कुर्ला रोड, चकला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400093

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत प्रतिभूतिकरण सूचना

एतद्द्वारा अधिकृत प्राधिकारी के माध्यम से कार्यरत इनफिनिटी फिनकॉर्प सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'आईएफएसपीएल' के रूप में संदर्भित) ने निम्नलिखित के अनुसार कथित सूचना सर्व करते हैं। इनफिनिटी फिनकॉर्प सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित ग्राहकों के अनुरोध और प्रतिनिधित्व पर विशेष रूप नीचे उल्लिखित राशि के लिए और समझौते की शर्तों के अनुसार सम्पत्ति जिसके विरुद्ध इक्विटेबल बंधक के माध्यम से प्रतिभूत करके ऋण ग्रहण किया गया था, ऋण सुविधा प्रदान किया गया था।

कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती का नाम, ऋण खाता सं. तथा एनपीए की तिथि	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना 13(2) की तिथि तथा राशि
1] प्रवीण कुमार बंगरावा पता:- डी6 336, दूसरी मंजिल चित्रकूट, वैशाली नगर, जयपुर-302021, राजस्थान 2] बलराम बंगरावा पता:- ग्राम दलावता, पोस्ट जयरामपुरा, वाया जाहोटा, तहसील आमेर जयरामपुरा, जयपुर-303701, राजस्थान इसके अलावा:- प्लॉट नंबर 32, सनराइज कॉलोनी, न्यू सांगनेर रोड ग्राम गोल्यावास, जयपुर-302020, राजस्थान 3] निर्मलेश बलराम पता:- ग्राम दलावता, पोस्ट जयरामपुरा, वाया जाहोटा, तहसील आमेर जयरामपुरा, जयपुर-303701, राजस्थान ऋण खाता संख्या: JAILR0000365 और JAILR0000389 में एनपीए की तिथि : 10/06/2022	प्लॉट नंबर 32, सनराइज कॉलोनी न्यू सांगनेर रोड ग्राम गोल्यावास जयपुर का समस्त भाग, बलराम बंगरावा से संबंधित। सीमाएँ : पूर्व: दूसरों की भूमि पश्चिम: रोड 30 उत्तर: प्लॉट नंबर 33 दक्षिण: प्लॉट नंबर 31	13/07/2022 रु. 27,79,840/- (रुपये सत्ताईस लाख उन्यासी हजार आठ सौ चालीस मात्र) तथा 13.07.2022 से पूर्ण बकाया भुगतान तक अनुबन्ध के अनुसार भावी ब्याज
1] सिसोदिया ब्रदर्स पता:- सी-ब्लॉक, 12 सनराइज सिटी, मुहाना, सांगनेर, जयपुर-302029, राजस्थान 2] संजू नाथूसिंह पता:- प्लॉट नंबर 12 सनराइज सिटी, सी ब्लॉक, मुहाना, जयपुर-302029, राजस्थान 3) रंजीत सिंह सिसोदिया पता:- प्लॉट नंबर 12 सनराइज सिटी, सी ब्लॉक, मुहाना, जयपुर-302029, राजस्थान ऋण खाता संख्या: INJAILR0000713, JAILR0000714 और JAILR0002333 में एनपीए की तिथि: 12/06/2022	प्लॉट नंबर 05, महावीर नगर, पनवालिया मोड, ग्राम- टीलावाला, तहसील-सांगनेर, जयपुर-302029 का सम्पूर्ण भाग सीमाएं:- पूर्व: दुकानें, पश्चिम: सड़क 25' चौड़ी, उत्तर: प्लॉट नंबर 4, दक्षिण: प्लॉट नं. 6 प्लॉट नंबर 20, सनराइज सिटी, ग्राम-मुहाना, सांगनेर जयपुर- 302029 का सम्पूर्ण भाग। सीमाएं:- पूर्व: रोड 30, पश्चिम: अन्य उत्तर: प्लॉट नंबर 21, दक्षिण: प्लॉट नंबर 20 ए	30/06/2022 रु. 28,58,067.00/- (रुपये अट्ठाईस लाख अट्ठावन हजार सड़सठ मात्र) तथा 30.06.2022 से पूर्ण बकाया भुगतान तक अनुबन्ध के अनुसार भावी ब्याज

समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार, आप उपर्युक्त कर्जदारों को जब भी देय हो, समान मासिक किस्तों के भुगतान के द्वारा ऋण खाते को नियमित रखने की आवश्यकता थी। हालांकि, उपर्युक्त ऋण सुविधा के संबंध में खातों का संचालन और प्रचालन अनियमित हो गया है और इस प्रकार इनफिनिटी फिनकॉर्प सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, आपके खाते को आरबीआई प्रक्रिया के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने के लिए बाध्य था।

अब आईएफएसपीएल आपको सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत, कुल बकाया राशि, उस पर ब्याज और लेनदेन की अन्य लागतों के साथ इस तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर चुकाने के लिए भुगतान करने के लिए कहता है।

आपकी विफलता पर, आईएफएसपीएल प्रतिभूत परिसंपत्तियों के लिए, पूरी तरह से आपके जोखिम पर लागत और परिणामों के संबंध में उक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्रासंगिक सभी या किसी एक या अधिक का सहारा लेने के लिए बाध्य होगा।

उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों के अनुसार, आपको हमारे क्लाइंट की पूर्व सहमति के बिना इस नोटिस में उल्लिखित किसी भी प्रतिभूत संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा (आपके व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) के माध्यम से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है।

आरपीएडी के माध्यम से भेजे गए नोटिस की तामील नहीं की गई थी, इसलिए इसकी प्रति उनके घर पर चिपका कर अखबार में प्रकाशित कर दी गई है।

कृत इनफिनिटी फिनकॉर्प सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
अधिकृत प्राधिकारी
कमलेश कुमार शाह

तिथि : 26/07/2022
स्थान : जयपुर

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, हमारे क्लाइंट मैसर्स मुथूट फाईनान्स लि. द्वारा **28th July 2022** को (बंधक आभूषणों की-एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और अब **3rd September 2022** को सार्वजनिक नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्जदारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा से सम्पर्क कर सकते है।

कोहली एण्ड सोबती, एडवोकेट
ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

ऋण वसूली अधिकरण चण्डीगढ़ (डीआरटी 2)

प्रथम तल, एससीओ 33-34-35 सेक्टर-17ए, चण्डीगढ़
(3सरे एवं 4थे तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उपनियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की धारा (4) के तहत समन

केस नं. : ओए/3410/2017, एक्सएच. नं. : 10502
पंजाब एण्ड सिंध बैंक बनाम राजकुमार

सेवा में,
(1) राजकुमार राज कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी मकान संख्या 1161/29, शिव नगर, सोनीपत हरियाणा।
(2) रमेश चंद शर्मा पुत्र श्री राधा लाल निवासी मकान संख्या 7298/30, विकास नगर, सोनीपत हरियाणा।
(3) पूजा गोयल पत्नी श्री राज कुमार निवासी मकान नंबर 1161/29, शिव नगर, सोनीपत हरियाणा।
(4) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, विशाल मेगा सोनीपत हरियाणा अपने शाखा प्रबंधक के माध्यम से।
(5) सिंडिकेट बैंक का शाखा कार्यालय, बहालगढ़, जिला सोनीपत हरियाणा में अपने शाखा प्रबंधक के माध्यम से।

समन

जैसा कि ओए/3410/2017 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 30.06.2022 को सूचीबद्ध किया गया था।

जैसा कि यह माननीय अधिकरण रु. 18,75,444/- के ऋण (दस्तावेजों की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है) की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दाखिल इस अधिनियम की धारा 19(4) (ओए) के तहत कथित आवेदन पर समन/सूचना जारी करते हैं।

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अनुसार, आप प्रतिवादियों को निम्नवत निर्देश दिया जाता है :

(i) समन की सर्विस के तीस दिनों के भीतर कारण बताना कि जिस राहत के लिए प्रार्थना की गयी उसे स्वीकार क्यों न किया जाये।
(ii) मूल आवेदन की क्रम सं. 3ए के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के विवरणों को प्रकटित करना;
(iii) आपको प्रतिभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के तहत प्रकटित अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों के साथ संव्यवहार करने, सुनवाई लम्बित करने तथा सम्पत्तियों के अटैचमेंट हेतु आवेदन को निस्तारित करने से निषिद्ध किया जाता है;
(iv) आप उन किसी आस्तियों को सामान्य प्रकार्यों के विषय को छोड़कर जिस पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन की क्रम सं. 3ए के तहत विनिर्दिष्ट अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों को अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से हस्तान्तरित नहीं करेंगे;
(v) आप प्रतिभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सामान्य प्रकार्य में सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा आहूतीकृत बिक्री कार्यवाहियों हेतु उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्रीत कार्यवाहियों को बैंक अथवा ऐसी आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक वित्तीय संस्थानों के खातों में अनुरक्षित करेंगे।

आपको 03.08.2022 को 10.30 बजे प्रातः रजिस्ट्रार के पास एक लिखित बयान जिसकी एक प्रति आवेदक को देनी है, दाखिल करने तथा उनके समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है जिसमें असफल होने पर आवेदन पर सुनवाई की जायेगी और आपकी अनुपस्थिति में फैसला दिया जायेगा।

01.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा अधिकरण की मुहर सहित

अधिकरण रजिस्ट्रार, डीआरटी-2, चण्डीगढ़ के आदेशानुसार

जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड

Genus energizing lives

(CIN: L51909UP1992PLC051997)
(पंजीकृत कार्यालय: जी-123, सेक्टर-63, नोएडा-201307, उत्तर प्रदेश)(फोन: 0120-2581999)
(कॉर्पोरेट कार्यालय: SPL-3, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सीतापुरा, टोंक रोड, जयपुर-302022, राजस्थान)
(फोन: 0141-7102400/7102500, फैक्स: 0141-2770319, ई-मेल: cs@genus.in, वेबसाइट: www.genuspower.com)

सूचना

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए)

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण को कंपनी के इक्विटी शेयरों का अनिवार्य हस्तांतरण संबंध में

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 कि धारा 124(6) और निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 ("नियम") समय समय पर संशोधित के अनुसरण में, सभी इक्विटी शेयरों, जिनके संबंध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया है, को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष ("आईईपीएफ") प्राधिकरण के नाम पर हस्तांतरण किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि वर्ष 2013-14 तक के लिए घोषित लाभांश, जिनका भुगतान नहीं किया गया था या दावा नहीं किया गया था, को समय-समय पर नियत दिनांक पर आईईपीएफ में हस्तांतरित कर दिए गए था।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 और उसके बाद के लिए घोषित लाभांश, जिनका भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया गया है, वर्तमान में कंपनी के पास रखा है। संबंधित सदस्यों से अनुरोध हैं उक्त लाभांश का दावा पेश करने के लिए एक पत्र एवं अंडरटेकिंग (जिसका प्रारूप कंपनी की वेबसाइट के निवेशक अनुभाग में उपलब्ध है), कंपनी सचिव जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, SPL-3, RIICO Industrial Area, Sitapura, Tonk Road, Jaipur-302022 (Rajasthan)" को भेजे ताकि उक्त लाभांश का डुप्लीकेट वारंट जारी किया जा सके अथवा उक्त लाभांश को संबंधित सदस्यों को ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा सके।

कृपया ध्यान दें कि यदि इस मामले से संबंधित सदस्य, जो कि 31 अक्टूबर, 2022 या अन्य बढ़ी हुई तिथि से पहले पूर्वकथित लाभांश का दावा पेश नहीं करते है जो कि वर्तमान में कंपनी के पास रखा है तो संबंधित इक्विटी शेयर को (जिनके संबंध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या दावा पेश नहीं किया है), आईईपीएफ प्राधिकरण को कंपनी द्वारा ऊपर उल्लिखित नियमों (संशोधित यदि कोई) के तहत नियत तिथि पर हस्तांतरित कर दिए जाएगा।

संबंधित सदस्यों और इक्विटी शेयरों का विवरण, जो कि आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी हैं, कंपनी की वेबसाइट www.genuspower.com के अनुभाग "निवेशकों" पर उपलब्ध हैं।

इस संबंध में व्यक्तिगत पत्र संबंधित सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेज दिए गये हैं। इस मामले पर स्पष्टीकरण, यदि आवश्यक हो, तो कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, M/s. Niche Technologies Private Limited, 3A, Auckland Place, 7th Floor, Room No. 7A & 7B, Kolkata-700017, दूरभाष: 033-22806616/17/6618, फैक्स: 033-22806619; ई-मेल: nichetechpl@nichetechpl.com से मांगा जा सकता है। एक बार यदि इन शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो उसके बाद वह शेयर केवल नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके ही आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस लिए जा सकते हैं।

स्थान: जयपुर
दिनांक: 29 जुलाई, 2022

हस्ताक्षर
अंकित झांझरी
कंपनी सचिव

एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड

CIN: L99999HR1994PLC034146
पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एचलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया,
सैक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा
फोन : +91-124-4675500, फैक्स नं. : +91-124-4370985
ई-मेल : corporate@hbestate.com, वेबसाइट : www.hbestate.com

28वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना ई-वोटिंग जानकारी तथा बही बंदी तिथि(यां)

प्रिय सदस्यगण,

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **एचबी एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड** ("कम्पनी") के सदस्यों की 28वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"), **मंगलवार, 23 अगस्त, 2022 को सुबह 11.00 बजे**, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसायों के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ("सेबी सूचीयन विनियमावली") के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020 तथा परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 और परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांकित 05 मई, 2022 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 तथा परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 तथा परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 इसमें आगे "परिपत्र(परिपत्रों)" कहे गए हैं, के अनुपालन में, किसी उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

चूंकि बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, अतः एजीएम के लिए परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक विधि से उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है, जिनका ई-मेल पता **22 जुलाई, 2022** को कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के पास पंजीबद्ध/उपलब्ध है।

अधिनियम की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित, के नियम संख्या 20 तथा ("सेबी सूचीयन विनियमावली") के विनियम 44 और एमसीए तथा सेबी द्वारा जारी उपरोक्त विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने हेतु सुविधा, अधिकृत एजेन्सी, नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के जरिये उपलब्ध कराई जा रही है।

रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और ढंग तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु अनुदेश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

सभी सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :

- क) 28वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण व्यवसाय और विशेष व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये मतदान द्वारा किया जाएगा ;
- ख) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान **शनिवार, 20 अगस्त, 2022 को सुबह 09.00 बजे** शुरू होगा ;
- ग) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान **सोमवार, 22 अगस्त, 2022 को शाम 05.00 बजे** समाप्त होगा। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा एनएसडीएल द्वारा निषेध कर दी जाएगी ;
- घ) सदस्यों के ई-वोटिंग अधिकार कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के प्रदत्त मूल्य के अनुपात में होंगे। कंपनी के वह शेयर धारक जिनके पास **कट-ऑफ तिथि अर्थात 16 अगस्त, 2022** को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर होंगे, वह एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं ;
- ङ) यदि कोई व्यक्ति जो कंपनी के शेयर का अधिग्रहण सूचना के प्रेषण के पश्चात करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि को शेयरधारक है तो वह **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीबद्ध है, तो वह मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग वोट डालने के लिए कर सकता है ;
- च) **सदस्यगण आगे नोट करें कि :**
  - i) किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद सदस्य को उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
  - ii) जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर चुके हैं, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उनको बैठक में पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।
  - iii) वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपोजिटरिज़ो द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में अभिलिखित होगा वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने तथा एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने हेतु योग्य होगा।
  - iv) एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट **www.hbestate.com** स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** तथा एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध हैं।
  - v) **इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के संबंध में किसी भी शिकायत की स्थिति में, सदस्यगण सीधे सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक - एनएसडीएल, ई-मेल आईडी : evoting@nsdl.co.in से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800-222-990 तथा 1800-22-4430 पर कॉल कर सकते हैं। सदस्यगण कम्पनी सचिव को भी ई-मेल आईडी : corporate@hbleasing.com पर लिख सकते हैं।**

बही बंदी : अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी सूचीयन विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियां आगामी एजीएम के उद्देश्य से **17 अगस्त, 2022** से **23 अगस्त, 2022** (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगी।

कृते **एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड**
हस्ता./-
राधिका खुराना
(कम्पनी सचिव)
M. No.: A-32557

तिथि : 29 जुलाई, 2022
स्थान : गुरुग्राम